



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 26-2019/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, FEBRUARY 11, 2019 (MAGHA 22, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

आदेश

दिनांक 11 फरवरी, 2019

संख्या 23/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राशि का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय भी शामिल हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत राशि के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए, ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और, चूंकि, कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किंतु उन्होंने अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए राशि का संग्रहण किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं;

इसलिए, अब, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 19) की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. यह आदेश हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय कठिनाई निवारण) आदेश, 2019, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, आदेश संख्या 03/जीएसटी-2, दिनांक 1 जनवरी, 2019 में, "31 जनवरी, 2019" अंकों, शब्द और चिह्न के स्थान पर, "7 फरवरी, 2019" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Order

The 11th February, 2019

No. 23/GST-2.- WHEREAS, sub-section (4) of section-52 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) provides that every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month;

AND, WHEREAS, certain operators, were unable to obtain registration because of technical issues being faced by them on the common portal but they collected the amount for the months of October, November and December 2018, as a result whereof, the statement under sub-section (4) of section-52 of the said Act could not be furnished and because of that certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said sub-section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section-172 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Haryana Goods and Services Tax (Second Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Order No. 03/GST-2, dated the 1st January, 2019, for the figures, letters and words “31st January, 2019”, the figures, letters and word “7th February, 2019” shall be substituted.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.